

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 317/2022 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सुमन देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी दनियासर तहसील पल्लू जिला
हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी

राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 25/2/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री कृष्णकुमार वकील वादी व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रौही मोजा रेखचारणीदनियासर के खसरा नं. 127 की 8.030 है. के स्थान पर ख.नं. 127 की 3.554 है. भूमि दर्ज किये जाने एवं शेष बची 4.476 है. भूमि का नया खसरा नम्बर 127/172 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। राजस्व रिकार्ड नक्शा में उक्त खसरा नम्बर 127/172 खसरा नम्बर 127/173 में पूर्वी पासा पर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25/2/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

